Order Sheet [Contd] Case No 66/2017 बी.ए

Order or Pleasure of presiding Parties or Pleasure of Ple	of aders sary
अविवक्त । राज्य की ओर से श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता । राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक । आवेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री एम.एस.यादव द्वारा तृतीय नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फी० का पेश कर निवेदन किया कि उसके विरुद्ध झूटा अपराध कायम कर उसे बंदी बना लिया है । जबिक आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध 'सरोकार नहीं है । आवेदक करीब दो साल से जैल में निरुद्ध है । प्रकरण करीब सभी साक्ष्य हो चुकी है और आवेदक का किसी भी साक्ष्य के द्वारा नाम नहीं लिया गया है । आवेदक स्थानीय निवासी है उसके फरार होने तथा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा । वह नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा । अतः उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है । राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है । उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । दिनांक 11.03.2014 को रात के 11 बज्रे जब फरियादी राजीव अपनी पत्नी को झाडफूक कराने के लिए ले जा रहा था तभी मालनपुर में होटलाईन फेक्ट्री के पीछे संदिग्ध अवस्था में तीन लोगों ह्व । उक्त रिपोर्ट के आधार से उसे पकड़कर कट्टा मारा जो गोली मारकर होटलाईन फेक्ट्री के अंबर घुम्र गए । उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मालनपुर में धारा 307 / 34 भा.द.वि० का अपराध काथम किया गया । प्रकरण की विवेचना की गई, विवेचना के दौरान आरोपी को घटना में संलग्न होने के संबंध में तथ्य का पता चलने एस आरोपी जो कि अन्य प्रकरण में गिरफ्तार किये गए थे उनकी फार्मल गिरफ्तारी की गई तथा उनकी सिनाख्ती की कार्यवाही कार्यवाही कार्यवाही कार्यवाही कार्यवाही की कार्यवाही की सिनाख्ती की कार्यवाही के इंग्र आरोपीमण की सिनाख्ती की कार्यवाही के इंग्र आरोपीमण की सिनाख्ती की गई है।	

आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि आरोपी को घटना में झूठा लिप्त किया गया है। प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के जिनमें कि फरियादी के कथन भी हो चुके है। ऐसी दशा में आरोपी की जमानत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि आवेदक अधिवक्ता ने अपने आवेदनपत्र एवं आरोपी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र में आरोपी की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत आवेदनपत्र होना बताया है, किन्तु उनके द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूर्ववर्ती जमानत आवेदनपत्र कब एवं किस न्यायालय के द्वारा और किन आधारों पर निराकृत किए गए है। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी जो कि हरेन्द्र राणा गिरोह का सदस्य होना बताया गया है, उसके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में 09 प्रकरण लंबित होने बताए गए है, जो कि इस संबंध में जैल अधीक्षक के द्वारा प्रस्तुत लंबित प्रकरणों की सूची के संबंध में विवरण से स्पष्ट होता है। यद्यपि प्रकरण में 08 अभियोजन साक्षियों के कथन जिनमें कि फरियादी रामबीर भी शामिल है का कथन हो चुका है, किन्तु इस आधार पर कि फरियादी व अन्य साक्षियों के कथन हो चुके है, आरोपी को जमानत व छोडे जाने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

विचारोपरांत उपरोक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए एवं आरोपी के विरूद्ध लंबित प्रकरणों और उसका लंम्बा आपराधिक रिकार्ड देखते हुए उसे जमानत पर छोडा जाना उचित नहीं है। उसकी ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० निरस्त ्श हो। (डी०सी०थपलियाल) ए.एस.जे. गोहद किया जाता है।

